राजस्थान सरकार

Mayl

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 22555 दिनांक 02 अप्रेल, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाड़ा शहर मे नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से इस कार्यालय के आदेश समसंख्यक क्रमांक 22470 दिनांक 20 मार्च 2020 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

उक्त जारी निषेधाज्ञा के क्रम में शहरवासियों को खाद्य सामग्री एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति हेतु पूर्व में आंशिक शिथिलता/छूट प्रदान की गई है अथवा आवागमन हेतु पास जारी किये गये हैं।

इस क्रम में भीलवाड़ा शहर की वर्तमान परिस्थितियों, **COVID-19** कोरोना वॉयरस के सक्रमंण से बचाव/नियत्रंण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनज़र मुझे यह समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति मे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत **जारी निषेधाज्ञा की सख्ती से पालना की जावें।**

अतः मैं **राजेन्द्र भट्ट, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** ऐसी स्थिति मे भीलवाडा शहर में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए भीलवाडा शहरी क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
2. पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिकों तथा आवश्यक सेवाओं यथा-नगर परिषद, नगर विकास न्यास, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग की सुगमता से पहुंच हेतु जारी किये गये समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिये उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र पूर्वानुसार अधिकृत/मान्य होगें। **उक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी समस्त पास अमान्य होगें।**
3. इस आदेश में वर्णित निषेधाज्ञा अवधि के दौरान **शहर में स्थित/संचालित किराना, जनरल स्टोर, डी-मार्ट, रिलायन्स स्मार्ट इत्यादि समस्त दुकाने आदि बन्द रहेगें तथा इनके द्वारा की जाने वाली डोर-टू-डोर डिलेवरी भी बन्द रहेगी।**
4. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान **जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक सेवाओं एवं खाद्यान सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित वाहनों के पास नहीं होने की स्थिति में मौके पर उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक द्वारा तत्काल अपनी संतुष्टि की जाकर यथास्थान रवानगी सुनिश्चित की जावेगी** ताकि मांग एवं आपूर्ति के संतुलन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हों।
5. शहर के निर्धन, असहाय एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को **सचिव, नगर विकास न्यास एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निःशुल्क खाद्य सामग्री एवं भोजन पैकेट व्यवस्थार्थ उनके द्वारा जारी किये गये समस्त पास पूर्वानुसार अधिकृत/मान्य रहेंगें।**
6. शहरवासियों को **महाप्रबन्धक, उपभोक्ता भण्डार एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी द्वारा शहरवासियों उपलब्ध करवाई जा रही आवश्यक सामग्री एवं फल/सब्जियों की आपूर्ति व्यवस्थार्थ उनके द्वारा पूर्व में जारी किये गये पास अधिकृत/मान्य होंगें।** उक्त अधिकारीगण वार्ड अनुसार सामग्री सप्लाई की कार्ययोजना तैयार कर **श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, (RAS) नोडल अधिकारी, वितरण व्यवस्था, हाल जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा** को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर बाद अनुमोदन सर्वसंबंधित/ शहरवासियों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगें। अति0 पुलिस अधीक्षक श्री राजेश मीणा उक्त व्यवस्थार्थ समन्वय होगें।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट

7. भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) द्वारा उनके **डेयरी बुथ के माध्यम से एवं मेड़िकल स्टोर द्वारा** शहरवासियों को आवश्यकतानुसार **दुग्ध एवं दवाईयों की डोर–टू–डोर डिलेवरी की जा सकेगी,** इस हेतु प्रबन्ध निदेशक, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ भीलवाड़ा डेयरी द्वारा उनके डेयरी संचालको को एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा वार्ड अनुसार मेडिकल स्टोर संचालको को पास जारी किये जा सकेगें। डेयरी प्रबन्धन द्वारा इस बाबत् नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाकर डेयरी बुथ संचालको के माध्यम से डोर–टू–डोर डिलेवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
8. **चिकित्सा सेवाओं हेतु राजकीय/निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगें।** चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों/कार्मिकों को उनके निवास से चिकित्सालय आने एवं जाने के लिये संबंधित चिकित्सालय द्वारा परिचय पत्र जारी किये जा सकेंगें, जो मान्य होगें।
9. **बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक खुले रहेंगें,** शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक कार्मिकों को उनके निवास से बैंक एवं बैंक से उनके निवास आने–जाने के लिये परिचय पत्र जारी किये जा सकेंगें, जो मान्य होगें।
10. **पोस्ट ऑफिस एवं टेलिकॉम सेवाओं हेतु उनके कार्यालय खुले रह सकेंगें** एवं उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को आवागमन हेतु उनके संस्था प्रधान द्वारा जारी किये जा सकेगें, जो मान्य होगें।
11. **पशुओं एवं गौशालाओं के लिये चारा/आहार की व्यवस्थार्थ यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।** पशुपालको एवं पशु चारा/आहार वितरण के लिये औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किये जायेंगें।
12. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान **शहर में संचालित पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सियों एवं केबल ऑपरेटर्स की सेवायें सुचारू रह सकेगी,** साथ ही पेट्रोल पम्प/केबल संचालन संचालन एवं गैस एजेन्सियों द्वारा डोर–टू–डोर गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु उनके कार्मिकों के लिये औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किये जायेंगें।
13. यह प्रतिबंध **प्रशासनिक कार्मिक, चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों, FCI कार्मिकों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों, तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल पर लागू नहीं होगा।**
14. जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलायी जावेगी। आदेशों का उल्लघंन करने पर विधिक प्रावधानो के तहत नियमानुसार दण्ड़ात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
15. राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर कोरोना वॉयरस के संबंध में जारी प्रतिबन्धात्मक निर्देशो की पालना पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जावेगी। उक्त संबंध में जिला स्तरीय अन्य समस्त विभागो द्वारा आवश्यक सहयोग करेगें।
16. **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005,** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 12/03/2020 में उल्लेखित प्रावधानो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना जिले के समस्त नागरिको द्वारा की जावेगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/कार्मिको द्वारा इसमे आवश्यक सहयोग किया जावेगा।
17. उक्त आदेश में वर्णित निर्देशों के साथ–साथ इस कार्यालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञाओं में प्रदत्त निर्देशो की सर्व–साधारण को अक्षरशः पालना सुनिश्चित किये जाना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा।
18. उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का होगा।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 02.04.2020 को रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 13.04.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** प्रभावी रहेगा।

2/4/2020

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
16. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
17. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा – जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
19. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

2/4/2020

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा